



2
12-3-16

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
135 12-3-2016	12-3-2016	12-3-2016	

नमन अपेक्षा

जमापालक उपजिलाधिकारी सदा - जौनपुर
बादसेवा 199 धारा 143 एनएच अधिन
क्रमा - कुधमुद पत्रन देवली जिला - जौनपुर
श्री आशुता ज्ञानपीठ संस्थात वरुध रावत
अपेक्षा दिनेक 10-03-2016 ई

अपेक्षा दिनेक 10-03-2016 ई एवं दायरगी लक्ष्य में
संलग्न है

न्यायालय उपजिलाधिकारी, सदर - जौनपुर
 वाद संख्या-109 धारा-143 ज0वि0अधि0
 मीजा-कमरुद्दीनपुर परगना-हवेली
 या आशा ज्ञानदीप संस्थान बनाम सरकार

निर्णय

प्रस्तुत कार्यवाही या आशा ज्ञानदीप संस्थान कुछमुछ, नयमसण्ड, जौनपुर अध्याल हवलदार यादव पुत्र स्व0 राजबहादुर यादव निवासी ग्राम- बालेमऊ, परगना- हवेली, जनपद-जौनपुर ने सरकार को बतौर विपक्षी बताते हुए मीजा- कुछमुछ, परगना-हवेली, स्थित आराजी संख्या-183, 190 रकबा 0.831 हे0 को कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ आबादी घोषित करने हेतु धारा-143 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत दाखिल किया। प्रार्थना-पत्र की जाँच आख्या तहसीलदार दिनांक 10.03.2016 को मैंने पत्रावली एच जाच आख्या तहसीलदार दिनांक 10.03.2016 को अर्घी प्रकार से अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उद्धारण खतीनी 1422 से 1427 फसली के खण्ड सं0 00039 के आ0सं0 183, 190 रकबा 0.831 हे0 पर बतौर संकनणीय भूमिधर दर्ज हो।

तहसीलदार ने अपनी आख्या में स्पष्ट किया है कि आराजी का उपयोग कृषि कार्य में न हाकर आबादी के रूप में है। कृषि से शिक्षा के उद्देश्य से संचालन हेतु प्रयोजनार्थ प्रख्यापित किये जाने की परसूति की गयी है। आख्या तहसीलदार उक्त के आधार पर पुष्टिकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आख्या तहसीलदार दिनांक 10.03.2016 की पुष्टि की जाती है और मीजा-कुछमुछ परगना-हवेली, जिला-जौनपुर स्थित आराजी संख्या 183, 190 रकबा 0.831 हे0 को कृषि से शिक्षा के उद्देश्य से संचालन हेतु प्रयोजनार्थ प्रख्यापित किया जाता है। वाद अमलदरामद पत्रावली अभिलेखागार में संचित हो।

दिनांक- 10.03-2016



आज का निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित एवं घोषित।

न्यायालय की तरफ से

नियंत्रक की तरफ से

कुल न्यायालयी खर्च 300

पेशकार

उपजिलाधिकारी
 सदर - जौनपुर
 12/3/2016

